

4

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं०सं०-2/एल-76/2024-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० मोनिका जायसवाल, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुराहरलोचनपुर, सकरा, मुजफ्फरपुर को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-291(25), दिनांक-07.02.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश निम्नरूपेण स्वीकृत किया जाता है :-

i	दिनांक-16.09.2024 से 01.01.2025 तक	-	कुल-108 (एक सौ आठ) दिन को शिशु देखभाल अवकाश के रूप में।
ii	दिनांक-22.05.2025 से 24.08.2025 तक	-	कुल-95 (पंचानवे) दिन को शिशु देखभाल अवकाश के रूप में।

2. उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात 527 (पाँच सौ सताईस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-76/2024-

1829(2) पटना, दिनांक 31/7/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकरा, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/डा० मोनिका जायसवाल, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुराहरलोचनपुर, सकरा, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/7/2026

सरकार के अवर सचिव।

६